बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एचो:बीआर: 111: 23 | दिनांक : 18 .01.2019

परिचालन एवं सेवाएं विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

भारत स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए इंट्रानेट के माध्यम से परिपत्र

विषय फाइल : सामान्य- 1

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: स्टाफ को आवधि जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दर के भुगतान के लिए स्पष्टीकरण.

हम उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र क्र. एचओ:बीआर:106:143 दिनांक 28.07.2014, एचओ:बीआर: 106:197 दिनांक 29.09.2014, एचओ:बीआर:107:163 दिनांक 25.11.2015 और एचओ:बीआर: 108:05 दिनांक 05.01.2016 तथा एचओ:बीआर: 109:133 दिनांक 04.08.2017 का संदर्भ देते हैं.

हाल ही में यह देखा गया है कि हमें स्टाफ के लिए लागू अतिरिक्त ब्याज दर के संदर्भ में हमारी शाखाओं / परिचालन इकाइयों से कई प्रश्न/स्पष्टीकरण प्राप्त हो रहे हैं. अतः हम उपर्युक्त परिपत्रों की विषयवस्तु को निम्नानुसार पुनः दोहरा रहे है.

1. बैंक के स्टाफ सदस्यों अथवा सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को अतिरिक्त ब्याज का लाभ केवल ऐसे मामलों में उपलब्ध है जहां स्टाफ सदस्यों अथवा सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के पास एकल रूप से अथवा परिवार के साथ संयुक्त रूप से खाता उपलब्ध हो और जिसमें स्टाफ सदस्य / सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य **मुख्य खाता धारक** के तौर पर हो. अतः **शाखाओं को सूचित किया गया था कि जहां स्टाफ / वरिष्ठ नागरिक स्टाफ का नाम आवधिक जमा खाता में मुख्य धारक के तौर पर हो, ऐसे मामलों में ही स्टाफ और वरिष्ठ नागरिक स्टाफ को अतिरिक्त दर (यथा लागू) प्रदान करें. अर्थात स्टाफ दर और वरिष्ठ नागरिक दर (वर्तमान में 1.50%) केवल उन्हीं स्टाफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है जो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनका नाम आवधिक जमा खातों में मुख्य धारक के रूप में उपलब्ध है.**
2. बचत बैंक खातों के मामलों में स्टाफ दर का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब स्टाफ/ सेवानिवृत्त स्टाफ का नाम बचत बैंक खाते में मुख्य खाता धारक के रूप में है.
3. एनआरई/एनआरओ/एफसीएनआर और एचयूएफ खातों में अतिरिक्त दर उपलब्ध नही है.
4. निम्नलिखित श्रेणियों में जमा पर अतिरिक्त दर प्रदान करने के लिए:
   i. मृत स्टाफ अथवा सेवानिवृत्त स्टाफ की विधवा.
   ii. सेवा निवृत्त स्टाफ, जिनके पति – पत्नी की मृत्यु हो गई हो, उनके पुत्र / पुत्री के साथ संयुक्त रूप से.
   iii. कर्मचारी यूनियन, एशोसिएशन, अनु.जा./अनु. ज.जा. एशोसिएशन के खातों पर
   iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि, बैंक ऑफ़ बड़ौदा स्टाफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी एवं खेल तथा सांस्कृतिक क्लब, जिसकी सदस्यता केवल स्टाफ तक सीमित है. हलांकि यह दर बैंक ऑफ़ बड़ौदा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी पर लागू नहीं होगी.

प्रधान कार्यालय – परिचालन एवं सेवाएँ विभाग, " बड़ौदा भवन ", 7वां तल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. भारत.
Head Office - Operations & Services Dept., "Baroda Bhavan", 7th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. INDIA.
फो./T : 0265-2316797/69/68/67/66/65, **ई-मेल/E** : operations.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों/ संघों के पास कर्मचारी आईडी नहीं होती, अतः शाखाओं को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें-

1. शाखा इसके अनुरोध को RMENU के माध्यम से भरें और सत्यापित करें.
2. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इसे सत्यापित करें.
3. शाखा को उक्त खाते में INTTM मेनू के माध्यम से ब्याज टेबल कोड में संशोधन हेतु अनुमति होगी.
4. शाखा INTTM मेनू का उपयोग करें और खाते में ब्याज टेबल कोड में अद्यतन/संशोधन/सुधार करें और उसे सत्यापित करें.

5. जिन कर्मचारियों के निम्नलिखित कारण कोड दिए हैं, वे अतिरिक्त दर के पात्र नहीं होंगे

   1. RESIG (त्यागपत्र)
   2. COMPR (अनिवार्य सेवानिवृत्ति)
   3. TERMI (निष्कासन)
   4. DISMI (बर्खास्तगी)
   5. ABAND (परित्याग) और
   6. OTH (अन्य)
      a) अनैच्छिक समाप्ति- फरार
      b) पंजी.20 (3(iii)) के अंतर्गत ऑफ़ सिज्ड
      c) स्वैच्छिक समाप्ति (अनधिकृत अनुपस्थिति)

शाखा फिनेकल में "EFI" मेनू विकल्प के माध्यम से कर्मचारी का ईसी नंबर प्रविष्ट कर पूर्व-कर्मचारी के बैंक छोड़ने के कारण कोड की जांच कर सकती हैं.

हालांकि, हमारे ध्यान में लाया गया है कि शाखाएं क.कू.सं के साथ नाम की पुष्टि नहीं कर रही हैं और उनके ग्राहक आईडी में क.कू.सं प्रविष्ट कर कर्मचारी के आश्रितों को अतिरिक्त ब्याज दर की अनुमति दे रही हैं.

अतः शाखाओं को सख्ती से सूचित किया जाता है कि जब सिस्टम में क.कू.सं प्रविष्ट किया जाता है तो उस क.कू.सं. वाले कर्मचारी का नाम प्रदर्शित होता है. यूजर को उस नाम को ग्राहक आईडी के नाम के साथ सत्यापित करना आवश्यक है और यदि नाम भिन्न है तो विधवा के मामले, जहां आर-मेनू के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से मृतक कर्मचारी का क.कू.सं. प्रविष्ट किया जाता है, को छोड़कर ऐसे क.कू.सं अन्य व्यक्ति की ग्राहक आईडी में प्रविष्ट नहीं किए जाने चाहिए.

कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें.

भवदीय,

(के. आर. कनोजिया)
महाप्रबंधक
(परिचालन एवं सेवाएं)

प्रधान कार्यालय – परिचालन एवं सेवाएँ विभाग, " बड़ौदा भवन ", 7वां तल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. भारत.
Head Office - Operations & Services Dept., "Baroda Bhavan", 7th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. INDIA.
फो./T : 0265-2316797/69/68/67/66/65, ई–मेल/E : operations.ho@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

HO:BR:111: 23

Date: 18 .01.2019

OPERATIONS & SERVICES DEPARTMENT
HEAD OFFICE, BARODA

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA THROUGH INTRANET

Sub file: GEN-1

Dear Sir / Madam,

Re: Clarification for payment of additional rate of interest on Term Deposits to staff.

We refer to our circular HO:BR:106:143 dated 28.07.2014, HO:BR:106:197 dated 29.09.2014, HO:BR:107:163 dated 25.11.2015 and HO:BR:108:05 dated 05.01.2016 and HO;BR:109:133 dated 04.08.2017 on the above subject.

Of late we are receiving so many queries/ clarification from Branches/Operational units with regard to extending additional rate of Interest applicable to staff. Therefore, we reiterate the contents of the above circulars as under.

1. Benefits of additional interest to banks' staff members or retired staff member is available only in the case of the staff member or retired staff members has an account singly or jointly with family member where the staff member /retired staff member is the **Principal Account Holder." Therefore branches were advised to provide additional rate (as applicable) to staff and Senior Citizen staff in cases where name of Staff /Senior Citizen Staff is as Principal holder in case term deposit accounts. i.e. Staff rate plus senior citizen rate (at present 1.50%) is available only to staff who is senior citizen and his/her name is as principal holder in term deposit account.**

2. In case of savings Bank accounts benefit of staff rate is available only when name of the Staff/Retired staff is as principal holder in savings bank account.

3. Additional rate is not available in case of NRE/NRO/FCNR and HUF accounts

4. For providing additional rate on deposit in the following categories

   i. Widows of the deceased members or the ex-members of staff.
   ii. Ex-members of staff whose spouse has expired, jointly with son/daughter.
   iii. Accounts of employees unions, associations, SC/ST associations.
   iv. Bank of Baroda Provident Fund, Bank of Baroda Staff Co-operative Credit Societies and Sports & Cultural Clubs, membership of which is restricted to the staff. **This rate, however, does not apply to Bank of Baroda Co-operative Housing Society.**

प्रधान कार्यालय - परिचालन एवं सेवाएँ विभाग, " बड़ौदा भवन ", 7वां तल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. भारत.
Head Office - Operations & Services Dept., "Baroda Bhavan", 7th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. INDIA.
फो./T : 0265-2316797/69/68/67/66/65, ई-मेल/E : operations.ho@bankofbaroda.com

The above categories of persons / association do not have Employee ID, therefore, branches were advised to follow the following procedure:-

1. Branch to feed and verify its request in " RMENU".
2. Concerned Regional Office to verify the same.
3. Branch will get access to modify the interest table code through INTTM menu in the said account.
4. Branch to invoke "INTTM" menu and update / modify / correct interest table code in the account and verify the same.

5. Employees having following reason codes are not entitled for additional rate
   1. RESIG (Resignation),
   2. COMPR (Compulsory Retirement),
   3. TERMI (Termination),
   4. DISMI (Dismissal),
   5. ABAND (Abandonment) and
   6. OTH (Others).-
      a) Involuntary cessation –Absconding
      b) OFF-Ceased under Reg. 20 (3 (iii))
      c) Voluntary cessation (Unauthorized Absence)

Branch can enquire reason code of the ex-employee for leaving the Bank through **"EFI"** menu option in Finacle by entering EC number of employee.

However, it has been brought to our notice that branches are not validating name with EC number and allowing additional rate of interest to dependents of employee by entering EC number of employee in their Customer id.

Branches are therefore strictly advised that when EC number is entered in the system, Name of employee is populated against the EC number. User is required to verify the name with the name in Customer –id and if the name is different, such EC number should not be entered in customer id of other person except in case of widow where EC number of deceased employee is entered with the permission of Regional office through R-menu.

Please ensure strict compliance of the above guidelines.

Yours faithfully

(K.R. Kanojia)
General Manager
Operations & Services

e:\bina17\circular-2017\clarification of staff rate.

प्रधान कार्यालय – परिचालन एवं सेवाएँ विभाग, " बड़ौदा भवन ", 7वां तल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. भारत.
Head Office - Operations & Services Dept., "Baroda Bhavan", 7th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. INDIA.
फो./T : 0265-2316797/69/68/67/66/65, ई-मेल/E : operations.ho@bankofbaroda.com